

तेजु वनाय सुरजमल
 प्र.पत्र 95/2021 (2021/184)

12/10/2021

पञ्जाबी प्रशासन गांवों के लगे अभिलेख
 2021 के तहत गा.प. ओछडी पर आगेपित
 शिबिर में निस्तारण हेतु ~~नियत~~ लाई गई।
 हमने पञ्जाबी का अवलोकन किया। प्राथमिक
 ग्राम वराडा प.ह. ओछडी स्थित अपनी
 स्वामिदारी आराजी नम्बर 284, 285, 288,
 289, 291, 292, 294, 320, 323, 324, 325,
 327, 328, 329, 330 की ल 9 कुल रकबा 3.98 हे.
 भूमि की पल्परगटी काना चाले है। पञ्जाबी
 में संलग्न नम्बर जमाबन्दी संवत् 2070-2073
 अनुसार उक्त आराजीगत प्राथमिक एवं विपरीत
 संख्या 1 से 5 के नाम स्वामिनी हक रने हैं।
 अतः प्राथमिक द्वारा उक्त प्राथमिक पर इन्तग
 धारा 128 CR Act सीमा किता नम्बर
 ग्राम वराडा प.ह. ओछडी स्थित आराजी
 नम्बर 284, 285, 288, 289, 291, 292, 294,
 320, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330
 की ल 15 कुल रकबा 3.98 हे. भूमि की बिना
 मिली के फल्लो में दखलन्दाजी किए सैरलमेन्ट
 नम्बरो अनुसार पल्परगटी किए जाने के दोष
 दिए जाते हैं। शुल्क 1500-00 (न्यर अक्षर एक हजार
 पांच सौ) न्यर प्राथमिक वहन करेगे। पालना
 तहसीलपर चिन्नेडाट को लिखत जावे कि
 9 पदकारात को लिखित सूचना देकर निपजगुप
 पल्परगटी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायलय
 में प्रस्तुत को। पञ्जाबी को लाल शुभा होकर
 नम्बर से कम हो।

2021
 184

(श्याम सुन्दर विश्वाङ्क)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चिन्नेडाट (राज.)